

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO:- 2025/779

--: आदेश :-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी माहिलावास व भू.अ.नि. मोकलसर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना/समदड़ी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार-कार्ड, वोटर कार्ड, पत्रासक अजियाना का उमाण पत्र।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना/समदड़ी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाना/समदड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	बूदराउ	54, 55, 56, 58, 80, 81, 82, 12,	रामा राम पुत्र दलीया	रामा राम पुत्र दला राम

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोट)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक- /राजस्व/ग्रा.से.शिविर/2025/40

दिनांक:- 16.10.2025

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार सिवाना/समदड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी/प्रार्थीगण रामा राम पुत्र दला राम ज्ञानि मेधवाल निवासी बूदराउ तहसील सिवाना/समदड़ी जिला बालोतरा

3. रक्षित पत्रावाली।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)
सिवाना (बालोतरा)

